

The State Expert Appraisal Committee (SEAC) has been constituted vide MoEF&CC S.O. 134 (E) dated 7th January, 2025 comprising following members:

1. Shri Rakesh Kumar Shrivastava, Chairman
2. Shri Vijay Kumar Ahirwar, Member.
3. Dr. Rakesh Kumar Pandey, Member.
4. Dr. Pallavee Bhatnagar, Member.
5. Dr. Sunita Singh, Member.
6. Dr. Sushil Manderia, Member.
7. Shri A.A. Mishra, Member Secretary.

The 812th meeting of the State Expert Appraisal Committee (SEAC) was held on 19th July, 2025 under the Chairmanship of Shri Rakesh Kumar Shrivastava for the projects which are scheduled in the agenda. Following members attended the meeting in person or through video conferencing -

1. Shri Vijay Kumar Ahirwar, Member.
2. Dr. Rakesh Kumar Pandey, Member.
3. Dr. Pallavee Bhatnagar, Member.
4. Dr. Sunita Singh, Member.
5. Dr. Sushil Manderia, Member.

The Chairman welcomed all the members of the State Expert Appraisal Committee. Before presentation of agenda items- wise the committee discussed and decided to consider the following issues: -

- Fee is being deposited at SEIAA Secretariate, so adequacy of fee shall be verified by SEIAA Secretariate.
- In all cases the project proponent shall comply the MOEF&C's O.M. dated 24 July 2024 , MOEF&C's O.M. dated 14.01.2025 & O.M. dated 26.05.2025 wrt plantation, comments of MPPCB and violation cases respectively.

After the above discussion the H'ble Chairman invited the Project Proponents Environmental Consultants for presentation according to scheduled agenda.

1. **Case No 10695/2023 Shri Gaurav Bhanot, Owner, 1101, Bhanot House, Gorakhpur, District Jabalpur (MP)-480021, Prior Environment Clearance for M/s Badaiyakheda Stone & Murrum Quarry Mine in an area of 1.75 ha. (23426 cum per year) (Khasra No. 26, 28 Part), Village-Badhaiya Kheda, Tehsil Jabalpur, District-Jabalpur (MP) [528748] [DEIAA to SEIAA] (EIA).**

Earlier this case was discussed in 699th SEAC meeting dated 08/12/2023 wherein ToR was recommended.

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 19/07/2025 को परियोजना प्रस्तावक श्री राजेन्द्र सिंह चंदेल पर्यावरणीय सलाहकार श्री वरुण भारद्वाज, मेसर्स जेनिथ इंवायरोमेंट कंसल्टेंसी, नोएडा, उ.प्र. उपस्थित हुए उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

| परियोजना विवरण | परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज | |
|---|---|---------------|
| परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता | Shri GAURAV BHANOT, Owner, 1101, Bhanot house, Gorakhpur, Jabalpur (M.P.) | |
| खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी) | 26, 28 Part (सरकारी/परियोजना प्रस्तावक स्वयं की-नॉन फॉरेस्ट लैंड) | 1.75 hectare. |
| स्थल | Village: Badaiyakheda, Tehsil & District: Jabalpur (M.P.) | |
| लीज स्वीकृति | कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के पत्र क्रमांक 4170 दिनांक 10/03/23 के द्वारा 05 लीज नवकरण स्वीकृत । | |
| श्रेणी (बी-1/बी-2) | बी-1 | |
| ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर | अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है । | |
| नया/क्षमता विस्तार | नया प्रोजेक्ट । | |
| लीज क्षेत्र में क्रेशर की स्थिति | फार्म-1 के पार्ट-बी के सरल क्रमांक 16.9 अनुसार लीज क्षेत्र में क्रेशर स्थापित नहीं। | |
| टॉर | सेक की 699वीं बैठक दिनांक 08/12/23 को अनुशंसित । सिया के पत्र क्रमांक 2484 दिनांक 05/01/24 के द्वारा Stone & Murrum - 23,426 cum per annum के लिए टॉर जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है। | |
| बोर्ड द्वारा जारी सम्मति की स्थिति | मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जबलपुर के Outward No:23780 दिनांक 22/03/2024 द्वारा जारी संचालन सम्मति (सीटीओ) की वैधता दिनांक 28/04/2024 तक थी है । | |
| उत्पादन क्षमता | परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर एवं मुरुम-23,426 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार पत्थर-23,426 घनमीटर/ वर्ष है। | |
| 500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें | कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 304 दिनांक 23/08/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 07 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार | |

| | |
|-------------------------------------|--|
| | कुल रकबा 14.63 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है। |
| वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति | कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 304 दिनांक 23/08/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है। |
| तहसीलदार की अनापत्ति | कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 304 दिनांक 23/08/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है। |
| ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति | ग्राम पंचायत बढैयाखेड़ा जिला जबलपुर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-6 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य का प्रस्ताव पारित। |
| वृक्षों की वर्तमान स्थिति | Tree Existing within lease area -No |
| जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति | कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के पत्र क्रमांक 1019 दिनांक 13/10/23 अनुसार उक्त उत्खनिपट्टा से संबंधित जानकारी को नवीन डिस्ट्रिक सर्वे रिपोर्ट में सम्मिलित कर लिया जावेगा। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये। |
| जन सुनवाई | समिति द्वारा प्रकरण से संबंधित जनसुनवाई के कार्यवाही विवरण, आमजन के सुझाव एवं प्राप्त आपत्तियों पर परियोजना प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा की गई एवं आवश्यकतानुसार परियोजना में प्रस्तावित सामाजिक/पर्यावरणीय कार्यों की समीक्षा की गई। |

प्रस्तुतीकरण के दौरान पर्यावरण सलाहकार ने बताया कि लीज क्षेत्र लीज क्षेत्र से उत्तर पूर्व दिशा में एक केनाल 203 मी. की दूरी पर है। लीज क्षेत्र में विगत तीन वर्षों में लीज क्षेत्र में कोई भी खनन कार्य नहीं किया गया है, इस संबंध में खनिज साधन विभाग में डेड रेंट जमा करने से संबंधित जानकारी बेवसाइट पर समिति के समक्ष प्रस्तुत की।

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति

के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई ।

| डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा | पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति |
|---|--|
| लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति | पूर्ण कर ली गई है। |
| ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण | बेरियर जोन खुदा हुआ नहीं है। मात्र 20-30 पेड लगाए गए हैं। |
| गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक की वर्तमान स्थिति | नहीं पायी गई। |
| पौधारोपण की स्थिति | परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि खदान क्षेत्र में लगभग .20-30 पेड लगाए गए हैं। |
| ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट | सामाजिक कार्य के अन्तर्गत अंतर्गत ग्राम में बोरिंग/हैंडपंप की रिपेयरिंग एवं पुल/रपटा नहर के ऊपर बनवाये गये जिसके फोटोग्राफ प्रस्तुत किए गये इस संबंध में ग्राम पंचायत बढैयाखेडा का पत्र प्रस्तुत किया। |

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता पत्थर एवं मुरुम-23,426 घनमीटर/वर्ष
2. ब्लास्टिंग प्रक्रिया में नियमानुसार सुरक्षात्मक उपायों का अनुपालन करते हुए आसपास के राहगीरों/कृषि भूमि/संरचना/पर्यावरण/जल निकायो/वृक्षों आदि की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।
3. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार खदान क्षेत्र में कशर /एम सेंड प्लान्ट प्रस्तावित नहीं है।
4. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 6.56 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु 3.82 लाख प्रति वर्ष ।

5. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू.1.80 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये:-

| सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ | राशि (रू.में) |
|---|---------------|
| आंगनबाड़ी केंद्र में 2 Kw के सोलर पैनल की व्यवस्था हेतु | 1,50,000 |
| आंगनबाड़ी केंद्र में पानी टंकी की फिटिंग के साथ व्यवस्था हेतु | 10,000 |
| बच्चों को प्रकृति के प्रति प्रेरित करने के लिए आंगनबाड़ी केंद्र में प्रकृति से संबंधित पेंटिंग की व्यवस्था हेतु | 20,000 |

4. वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1750 वृक्षों का वृक्षारोपण किया जावेगा ।

2. Case No P2/1597/2025 SUBHASH PATIDAR, Lessee, Bhesasuri Mohalla, Madawda, Khacharod, Ujjain (M.P.). Prior Environment Clearance for M/s Madwada Stone (Gitti) M- Sand Quarry, Stone Quarry and M-Sand in an area of 1.00 ha. (Gitti – 6,000 and M-Sand – 10,000 cum per year) (Khasra No. 2644), Village-Medawada, Tehsil Khachrod, District-Ujjain (MP) DEIAA to SEIAA [467658] (B2).

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 19/7/2025 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमित सक्सेना, ऑनलाइन में एपेक्स मिनटेक कंसलटेंट, उदयपुर उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

| परियोजना विवरण | परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज | |
|------------------------------------|---|--------------|
| परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता | Shri SUBHASH PATIDAR, Lessee, Bhesasuri Mohalla, Madawda, Khacharod, Ujjain (M.P.). | |
| खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी) | 266 (निजी भूमि) | 1.0 hectare. |
| स्थल | ग्राम मडावदा, तहसील, खाचरौद, जिला उज्जैन (म.प्र.) | |
| लीज स्वीकृति | कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के पत्र क्रमांक 1201 दिनांक 01/6/2017 के द्वारा 10 वर्ष के लिए स्वीकृत । | |
| लीज क्षेत्र में केशर की स्थिति | आवेदित फार्म के सरल क्रमांक 33.10 अनुसार लीज क्षेत्र में केशर प्रस्तावित है। | |
| ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर | अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है । | |
| बोर्ड द्वारा जारी सम्मति की स्थिति | क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उज्जैन के द्वारा जारी स्थापना/संचालन सम्मति (सीटीई/सीटीओ) की वैधता दिनांक 30/4/2024 तक है । | |
| प्रकरण की स्थिति | डिया | |
| लीज क्षेत्र में केशर की स्थिति | आवेदित फार्म के सरल क्रमांक 33.10 अनुसार लीज क्षेत्र में केशर प्रस्तावित नहीं। | |
| उत्पादन क्षमता | परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता गिट्टी – 6000 घनमीटर/वर्ष एवं एम सैंड – 10,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता गिट्टी – 6000 घनमीटर/वर्ष एवं एम सैंड – 10,000 घनमीटर/वर्ष है। | |
| 500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें | कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के पत्र क्रमांक 10387 दिनांक 06/12/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि कोई अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है। | |

| | |
|--|--|
| राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण / एसईजेडसे दूरी कोर/ जैव विविधता बफर | कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के पत्र क्रमांक 10387 दिनांक 06/12/2023 के अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है । |
| प्रस्तावित स्थल से 250 मीटर की दूरी पर वन क्षेत्र की स्थिति | कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के पत्र क्रमांक 10387 दिनांक 06/12/2023 के अनुसार 250 मीटर की परिधि में वन क्षेत्र नहीं है । |
| तहसीलदार की अनापत्ति | कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के पत्र क्रमांक 10387 दिनांक 06/12/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन / सार्वजनिक भवन / शमशान घाट / राष्ट्रीय राजमार्ग / संवेदनशील क्षेत्रों जैसे: रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय /नदी / तालाब / बांध / स्टॉप डैम / नहर / ग्रामीण कच्चा / पक्का रास्ता / नाला नहीं है । |
| ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति | ग्राम पंचायत मडावदा जिला उज्जैन के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-5 दिनांक 01/11/2014 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य हेतु कोई आपत्ति नहीं है का प्रस्ताव पारित। |
| प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति | Tree existing within lease area - No |
| प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति | परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण उज्जैन जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के सरल क्रमांक 21 पर दर्ज है । |

प्रस्तुतीकरण के दौरान पर्यावरण सलाहकार ने बताया कि पूर्व में इस प्रकरण में डिया द्वारा ऐसी प्रदाय की गई थी वर्तमान में गिट्टी के उत्पादन के साथ एम सैंड का उत्पादन भी प्रस्तावित है अतः प्रकरण क्षमता विस्तार का है, लीज क्षेत्र के पश्चिम दिशा में एक पक्का रोड एवं वेयर हाउस 80 मी. की दूरी पर है अतः इस दिशा में 20 मी. का क्षेत्र गैर खनन के रूप में छोड़ा गया है अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है ।

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई ।

| | |
|---|---|
| डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा | पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति |
| लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति | लगभग 50 प्रतिशत पायी गई। |
| ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान | बेरियर जोन पश्चिम दिशा में खुदा हुआ है। |

| | |
|--|---|
| स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण | |
| गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक की वर्तमान स्थिति | अवलोकित की गई एवं सुधार कार्य करना प्रस्तावित है |
| पौधारोपण की स्थिति | परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि खदान क्षेत्र में लगभग 60 पेड़ लगाये गये |
| ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट | सामाजिक कार्य के अन्तर्गत ग्राम पंचायत को मिट्टी एवं मुरम प्रदाय की गई आदि के प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत किये। |

प्रस्तुतीकरण के पश्चात समिति के द्वारा निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए

1. क्षमता विस्तार के लिए संशोधित सीटीई प्रस्तुत करें।
2. बेरियर जोन पश्चिम दिशा में खुदा हुआ है अतः भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 08/01/2019 के पालनार्थ पुर्नभरण करवाकर वृक्षारोपण कर संरक्षित कराएं तथा प्रमाणिक पालन प्रतिवेदन जियोटेग फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत करें।
3. समिति द्वारा सुझाए अनुसार संशोधित ईएमपी एवं सीईआर प्रस्तुत करें।

3. Case No 10850/2023 Ms. Mohani Bai, Lessee, R/o Village-Aariya, Tehsil-Bagli, District-Dewas (MP)-455227, Prior Environment Clearance for M/s Eklera Stone Quarry in an area of 1.430 ha. (15000 cum per year) (Khasra No. 584), Village-Eklera, Tehsil-Bagli, District-Dewas (MP) [518164] (EIA)

प्रस्तावित पत्थर खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए टॉर का है, जिसमें आज दिनांक 19/07/2025 को परियोजना प्रस्तावक **Ms. Mohani Bai, Online** एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजराज उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

| परियोजना विवरण | परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज | |
|------------------------------------|---|----------------|
| परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता | Shri MOHANI BAI, Lessee, R/o-Village- Aariya, Tehsil- Bagli, District- Dewas (M.P.) | |
| खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी) | 584 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड) | 1.430 hectare. |
| स्थल | Village - Eklera, Tehsil- Bagli, District- Dewas (M.P.) | |
| लीज स्वीकृति | संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक 12616-20 दिनांक 21/09/23 के द्वारा स्वीकृत । | |
| ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर | अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है । | |
| लीज क्षेत्र में केशर की स्थिति | आवेदित फार्म के सरल क्रमांक 16.9 अनुसार लीज क्षेत्र में केशर प्रस्तावित नहीं। | |
| बोर्ड द्वारा जारी सम्मति की स्थिति | क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उज्जैन द्वारा जारी स्थापना/संचालन सम्मति (सीटीई/सीटीओ) की Outward No:21925, 09/05/2025 वैधता दिनांक 22/4/2030 तक है । | |
| प्रकरण की स्थिति | नया प्रोजेक्ट । | |
| टॉर | सेक की 712 वीं बैठक दिनांक 10/1/2024 को अनुशंसानुसार सिया के पत्र क्रमांक 3147 दिनांक 29/2/2024 के द्वारा पत्थर- 15000 घनमीटर/वर्ष के लिए टॉर जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है। | |
| उत्पादन क्षमता | परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर-15,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर-15,000 घनमीटर/वर्ष है। | |
| 500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें | कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2030 दिनांक 16/10/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदान संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 06.35 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है। | |
| वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति | कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2030 दिनांक 16/10/23 अनुसार 10 | |

| | |
|--|---|
| | किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है। |
| तहसीलदार की अनापत्ति | कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2030 दिनांक 16/10/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/ नाला नहीं है । |
| ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति | ग्राम पंचायत इकलेरा जिला देवास के ठहराव प्रस्ताव के अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है । |
| प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति | Tree Felling - Additional tree to be planted - |
| प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति | परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया कि खदान क्षेत्र खुदा हुआ है। <ul style="list-style-type: none"> ● खदान क्षेत्र के उत्तर दिशा में 300 मी. पर रेल्वे लाईन है ● लीज क्षेत्र से लगे हुये जो संरचना दिखाई दे रही है वह साईट ऑफिस है। |
| प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति | कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के पत्र क्रमांक 2032 दिनांक 16/10/23 अनुसार उक्त खदान को नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित कर लिया जावेगा । |

After presentation the committee asked PP/ Env. Consultant to submit following information;

- CTE or comments from MPPCB as per MoEF&CC O.M. dated 14/01/2025 are required to be uploaded on the Parivesh Portal.
- EIA chapter 04 page152 table 4-11 predicted GLC of PM₁₀ is reported 92 to 98.54 microgram /Nm³ hence protection plan to maintain PM₁₀ well within limits is required along with revised EMP.

4. Case No 1596/2025 Shri Rajveer Singh Raghuwanshi R/o-Gulabganj Aron, Tehsil - Aron, District - Guna, (M.P.) – 473101. Prior Environment Clearance for M/s Barod Stone Quarry with a production capacity of 10,000 m³/year Stone having a lease area of 2.00 hectare, at Khasra No. - 65/1 min-2 (Govt. land), Village - Barod, Tehsil- Aron, District- Guna (M.P. [538685] (Fresh Case-B2).

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आवेदित है, जिसमें आज दिनांक 19/07/2025 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार **Shri M/s. Shishupal Verma, Super Tech, Environmental Services, Bhopal (M.P.)** उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना की रूपरेखा

| परियोजना विवरण | परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज |
|--|--|
| परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / संस्थान का नाम व पता | Shri RAJVEER SINGH, R/o-Gulabganj Aron, Tehsil - Aron, District - Guna, (M.P.) – 473101. Prior Environment Clearance for M/s Barod Stone Quarry with a production capacity of 10,000 m ³ /year Stone having a lease area of 2.00 hectare, at Khasra No. - 65/1 min-2 (Govt. land), Village - Barod, Tehsil- Aron, District- Guna (M.P.). SIA/MP/MIN/538685/2025. |
| परियोजना का खसरा नं. / लीज क्षेत्रफल | खसरा नं.-65/1 min-2 (Govt. land), एरिया – 2.00 ha., शासकीय भूमि |
| परियोजना स्थल | Village - Barod, Tehsil- Aron, District- Guna (M.P.). |
| Description of Project | It is a Stone Quarry with a production capacity of 10,000 m ³ /year Stone having a lease area of 2.00 hectare, at Khasra No. 65/1 min-2 (Govt. land) Village - Barod, Tehsil- Aron, District- Guna (M.P.). |
| सैधातिक सहमति | डी.जी.एम., भोपाल के पत्र क्र०. 2697 दिनांक 29/02/2024. |
| परियोजना की श्रेणी | बी-2. |
| जल/वायु सम्मति | PCB ID: 169169, Consent No:CTE-129569, Consent to Establish upto 31/03/2030, Issued date 22/04/2025. |
| खनन् कार्य ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर | Muffle Blasting, |
| डिया द्वारा जारी ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो) | NA. |
| उत्पादन क्षमता | Stone – 10,000 Cubic meter/year, |
| EC Compliance details | NA. |
| परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण। | कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला गुना के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 447 दिनांक 25/06/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान स्वीकृत है जिनका कुल रकबा 4.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है। |
| परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी | कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला गुना के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 447 दिनांक 25/06/2024 अनुसार 10 |

| | |
|---|--|
| | किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है। |
| परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी | कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला गुना के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 447 दिनांक 25/06/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, नाला इत्यादि संबंधी जानकारी नहीं है। |
| ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/ नगर परिषद् | ग्राम पंचायत -बारोद , जिला - गुना का ठहराव प्रस्ताव क्र. 05 दिनांक 22/01/2021 द्वारा अनापत्ति पत्र जारी किया गया है। |
| प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति | <ul style="list-style-type: none"> ● प्रस्तावित खदान क्षेत्र में स्थित पेड़ों की संख्या - 1 काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या -1 |
| प्रस्तावित खदान की गूगल इमेज अनुसार स्थिति (यदि सेटबैक आवश्यक हो) | उत्तर दिशा -उत्खनिपट्टे के उत्तर पूर्वी दिशा में 262 मीटर की दूरी पर एवं उत्तर दिशा 247 मीटर की दूरी पर में पक्का रोड गुजर रहा है। - उत्खनिपट्टे के पश्चिम दिशा में 240 मीटर की दूरी पर मानव बसाहट स्थित है । |
| | दक्षिण दिशा - उत्खनिपट्टे के दक्षिण पूर्वी दिशा में 265 मीटर की दूरी पर एक छोटी तलई स्थित है जिसमे जल जमाव परिलक्षित हो रहा है । |
| जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति | कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला गुना के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 447 दिनांक 25/06/2024 अनुसार अवगत कराया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित कर लिया जायेगा। |

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति द्वारा पाया गया कि उत्खनिपट्टे के 500 मीटर की परिधि में एकल में उल्लेखित खदान के अलावा एक और अन्य गड्ढा परिलक्षित हो रहा है जिसके सम्बन्ध में पर्यावरण सलाहकार द्वारा बताया गया कि पूर्व में वर्ष 2015-2016-2017 में बंसल कंपनी को रोड निर्माण हेतु अस्थायी अनुज्ञा उत्खनिपट्टा स्वीकृत था जो कि वर्तमान में संचालित अथवा स्वीकृत नहीं है जिसकी पुष्टि हेतु गूगल सैटेलाइट इमेज के माध्यम से बैक डेट करके देखा गया जिसमे पाया गया कि वर्ष 2016- 2017 के बाद से उक्त गड्ढे में कोई मशीनरी एवं खनन कार्य परिलक्षित नहीं हो रहा है जो कि पुष्टि करता है कि उक्त खदान कई वर्षों पूर्व से बंद है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विषिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुषंसा करती है:—

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता – स्टोन –10000 घनमीटर/वर्ष ।
2. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार खदान क्षेत्र में क़शर /एम सेंड प्लान्ट प्रस्तावित नहीं है ।
3. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार खदान क्षेत्र में क़शर /एम सेंड प्लान्ट प्रस्तावित है । म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित क़शर /एम सेंड प्लान्ट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना तथा प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जावेगी ।
4. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 9.33 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 1.75 लाख प्रति वर्ष ।
5. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु 2.0 लाख तथा सी.ई.आर में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 1 वर्ष में पूर्ण किये जाये ।

| सी.ई. आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि | | |
|-------------------------------------|---|-------------------|
| 1. | Solar panel system of 2.0 kw capacity will be installed at village govt primary school Barod. | 1,20,000/- |
| 2. | Whitewash of the same school building along with educational paintings on the walls of it along with covering of its veranda with & installation of a door there. | 80000/- |
| योग | | 2,00,000/- |

6. वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2410 वृक्षों का वृक्षारोपण ।

5. **Case No P2/1598/2025 Shri Nirdosh Goyal, Babu Quarter Road, Ward No. - 37, Kamlaganj, Shivpuri (M.P.)- 473551. Prior Environment Clearance for M/s Bhadora Flagstone Quarry of 2.78 Hectare Area, Khasra No. - 1345, 1348 in Village Bhadora, Tehsil - Pichhore, District – Shivpuri (M.P.) {Maximum Production – 10,008 Cubic Meter (Flagstone)} [520036] (B2)**

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आवेदित है, जिसमें आज दिनांक 19/07/2025 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार Ms. Garima Shrivastava from, M/s. ASERIES ENVIROTEK INDIA PVT. LTD., Noida (U.P.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना की रूपरेखा

| परियोजना विवरण | परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज | |
|---|---|-------------------|
| परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी /संस्थान का नाम व पता | Shri Nirdosh Goyal, Babu Quarter Road, Ward No. - 37, Kamlaganj, Shivpuri (M.P.)- 473551. Prior Environment Clearance for Bhadora Flagstone Quarry of 2.78 Hectare Area, Khasra No. - 1345, 1348 in Village Bhadora, Tehsil - Pichhore, District – Shivpuri (M.P.) {Maximum Production – 10,008 Cubic Meter (Flagstone)} B2 Fresh Case. SIA/MP/MIN/520036/2025. | |
| परियोजना का खसरा नं. /लीज क्षेत्रफल | खसरा नं.— 1345, 1348] (निजी भूमि – भू-स्वामी सहमति प्राप्त), | एरिया – 2.78 Ha., |
| परियोजना स्थल | Village Bhadora, Tehsil - Pichhore, District – Shivpuri (M.P.) | |
| Description of Project | Bhadora Flagstone Quarry of 2.78 Hectare Area, Khasra No. 1345, 1348 in Village Bhadora, Tehsil - Pichhore, District – Shivpuri (M.P.) {Maximum Production – 10,008 Cubic Meter (Flagstone)}. | |
| सैधातिक सहमति | कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के पत्र क्र0. 811 दिनांक 11/06/2024. | |
| परियोजना की श्रेणी | बी-2. | |
| जल/वायु सम्मति | PCB ID: 169515, Consent No:CTE-130310, Consent to Establish up to 30/04/2030, Issued date 23/05/2025. | |
| खनन् कार्य ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर | NA. | |
| डिया द्वारा जारी ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो) | NA. | |
| उत्पादन क्षमता | ➤ Flage Stone – 10,008 Cubic meter/year. | |
| परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का | कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1002 दिनांक 19/07/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत नहीं है जिनका | |

| | |
|---|---|
| विवरण। | कुल रकबा 2.78 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है। |
| परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी | कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1002 दिनांक 19/07/2024 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है। |
| परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी | कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1002 दिनांक 19/07/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, नाला इत्यादि संबंधी जानकारी नहीं है। |
| ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/ नगर परिषद् | ग्राम पंचायत – भड़ोरा, जिला – शिवपुरी का ठहराव प्रस्ताव क्र. 08 दिनांक 27/01/2024 द्वारा अनापत्ति पत्र जारी किया गया है। |
| प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति | Tree Existing -02 , No tree felling is proposed. |
| प्रस्तावित खदान की गूगल इमेज अनुसार स्थिति (यदि सेटबैक आवश्यक हो) | उत्तर पूर्व दिशा- प्राकृतिक नाला 377 मी. |
| जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति | कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1001 दिनांक 19/07/2024 द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त खदान का नाम आगामी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में आवश्यक रूप से सम्मिलित की जावेगी। |

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता FlagStone – 10,008 Cubic meter/year.
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 18.46 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 3.59 लाख प्रति वर्ष।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

| सी.ई.आर मद में प्रस्तावित गतिविधि | राशि (रु0. में) |
|--|-----------------|
| ग्राम भड़ोरा के शासकीय माध्यमिक शाला में बाउण्ड्रीवॉल हैन्डपम्प की मरम्मत तथा लोहे का गेट लगवाना | 60,000 |

4. वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1400 वृक्षों का रोपण प्रस्तावित है।

6. Case No P2/1599/2025 SHRI YASHPAL RAGHUVANSHI, S/O - SHRI RAMESH SINGH RAGHUVANSHI, R/O VILLAGE - KHAJOORI, TEHSIL - GUNA, DISTRICT - GUNA (M.P.) Prior Environment Clearance for M/s Kharagpur Stone Quarry, Stone Quarry, production capacity 16,800 m³/year Stone and 7200 m³/year of M-Sand, area 2.00 hectare, Khasra No. 56/6(S) and 56/3(S) (Pvt. land) Village - Kharagpur Tehsil- Guna, District- Guna (M.P.). [538092] (Fresh B2).

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत नवीन पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 19.07.2025 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार शिशुपाल वर्मा FAE सुपर टेक एनवायर्नमेंटल सर्विसेज भोपाल मध्य प्रदेश उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना की रूपरेखा

| परियोजना विवरण | परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज |
|--|---|
| परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / संस्थान का नाम व पता | Shri Yash Pal Raghuwanshi, Village- Khajoori, Tehsil-Guna, District-Guna, (M..P.). Prior Environment Clearance for M/s Kharagpur Stone Quarry with a production capacity of 16,800 m ³ /year Stone and 7,200 m ³ /year of M-Sand having a lease area of 2.00 hectare, at Khasra No. 56/6(S) and 56/3(S) (Pvt. land), Village – Kharagpur, Tehsil- Guna, District- Guna(M.P.). SIA/MP/MIN/538092/2025. |
| परियोजना का खसरा नं. / लीज क्षेत्रफल | खसरा नं.—56/6(S) and 56/3(S). एरिया – 2.00 ha., निजी भूमि (सहमति प्राप्त) |
| परियोजना स्थल | Village – Kharagpur, Tehsil- Guna, District- Guna(M.P.). |
| सैधातिक सहमति | कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला गुना 433 दिनांक 23 / 05 / 2025. |
| परियोजना की श्रेणी | बी-2. |
| जल/वायु सम्मति | PCB ID: 169078, Consent No:CTE-130145, Consent to Establish up to 30/04/2030, Issued date 15/05/2025. |
| खनन कार्य ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर विवरण | Mining Plan Chapter 3.6 Blasting Requirement (if applicable): Not applicable. Mining will be done without blasting with the help of rock breaker (Uploaded on Parivesh Prtal) Page No. - 15. |
| डिया द्वारा जारी ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो) | NA. |
| उत्पादन क्षमता | ➤ Stone - 16,800 M³/year & M-Sand - 7,200 M³/year. |
| परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण। | कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला गुना के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 231 दिनांक 27 / 03 / 2025 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोर्ड खदान स्वीकृत नहीं है जिनका कुल रकबा 2.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है। ➤ पूर्व में एक अस्थायी अनुज्ञा स्वीकृत थी। वर्तमान में कुछ नहीं |

| | |
|---|--|
| | है। |
| परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी | कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला गुना के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 231 दिनांक 27/03/2025 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है। ➤ 1012 मी.दूर है। |
| परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी | कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला गुना के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 231 दिनांक 27/03/2025 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, नाला इत्यादि संबंधी जानकारी नहीं है। |
| ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/ नगर परिषद् | ग्राम पंचायत – धमनार, जिला – गुना का ठहराव प्रस्ताव क्र. 05 दिनांक 02/10/2024 द्वारा अनापत्ति पत्र जारी किया गया है। |
| प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति | प्रस्तावित खदान क्षेत्र में स्थित पेड़ों की संख्या – 4 काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या – 2 |
| प्रस्तावित खदान की गूगल इमेज अनुसार स्थिति (यदि सेटबैक आवश्यक हो) | उत्तर दिशा उत्खनिपट्टे से उत्तर दिशा में 30 मीटर की दूरी पर हाई टेंशन लाइन स्थित है जिसके सम्बन्ध में बताया गया कि अनुमोदित खनन योजना अनुसार हाई टेंशन लाइन से 50 मीटर तक खनन कार्य नहीं किया जावेगा। |
| | दक्षिण दिशा उत्खनिपट्टे से पश्चिम दिशा में 85 मीटर की दूरी पर पक्का रोड स्थित है जिसके सम्बन्ध में बताया गया कि पक्का रोड से 100 मीटर तक खनन कार्य नहीं किया जावेगा।। |
| | पश्चिम दिशा उत्खनिपट्टे से पश्चिम दिशा में 65 मीटर की दूरी पर कच्चा रोड स्थित है। -उत्खनिपट्टे से पश्चिम दिशा में 300 मीटर पर मानव बसाहट स्थित है। |
| जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति | कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला गुना के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 231 दिनांक 27/03/2025 अनुसार अवगत कराया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित कर लिया जायेगा। |

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति द्वारा पाया गया कि उत्खनिपट्टे के 500 मीटर की परिधि में कुछ गड्ढे परिलक्षित हो रहे हैं एवं उत्खनिपट्टे क्षेत्र के दक्षिण में क्षेत्र से बाहर एवं पूर्व दिशा में कुछ संरचनाये परिलक्षित हो रही हैं जिसके सम्बन्ध में पर्यावरण सलाहकार द्वारा बताया गया कि कई वर्ष पूर्व वर्ष 2017-18 में रवि इंपरा बिल्ड नामक कंपनी को अस्थायी अनुज्ञा उत्खनिपट्टे स्वीकृत किये गए थे जिनके खनन कार्य के परिमाणस्वरूप गड्ढे निर्मित हैं जो कि वर्तमान में

संचालित अथवा स्वीकृत नहीं है इसके अतिरिक्त उनके द्वारा साइट ऑफिस/स्टोर रूप आदि बनाने के लिए कंक्रीट के बेस तैयार किये गए थे जो कि उत्खनिपट्टे के आस पास सफेद रंग के परिलक्षित हो रहे है जिसके नवीन तारिख के जी. पी.एस कोऑर्डिनेटस वाले छायाचित्र प्रस्तुतकरण के दौरान प्रस्तुत किये गए।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विषिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता – स्टोन गिट्टी –16800 घनमीटर/वर्ष, एम् सैंड –7200 घनमीटर/वर्ष ।
2. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार खदान क्षेत्र में क़शर /एम सैंड प्लान्ट प्रस्तावित है । म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित क़शर /एम सैंड प्लान्ट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना तथा प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जावेगी।
3. ब्लास्टिंग प्रक्रिया में नियमानुसार सुरक्षात्मक उपायों का अनुपालन करते हुए आसपास के राहगीरों/कृषि भूमि/संरचना/पर्यावरण/जल निकायो/वृक्षों आदि की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।
4. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 11.26 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 2.57 लाख प्रति वर्ष।
5. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु 1.30 लाख तथा सी.ई.आर में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 1 वर्ष में पूर्ण किये जाये ।

| सी.ई. आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि | | |
|-------------------------------------|--|-------------------|
| 1. | Solar panel system of 3 kW capacity will be installed at govt. middle school of village Bhadora | 1,20,000/- |
| 2. | Educational paintings on the walls & distribution of science related educational tools in the same school. | 10000/- |
| योग | | 1,30,000/- |

6. वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2420 वृक्षों का वृक्षारोपण ।

7. **Case No. 11170/2024 - Shri Mayank Singh Sikarwar S/o Shri Mahendra Singh Sikarwar., R/o:- 35 G, Vaktawar Ramnagar, Indore, Tehsil & District- Indore (M.P.), Prior Environment Clearance for Deopipalya Stone Quarry in an area of 4.99 ha., [24,832 m³/year Stone (Gitti), and 12,800 m³/year Overburden], Khasra No. 303, (Govt. Land), Village Deopipalya, Tehsil Bagli, District Dewas, (M.P.) [521462] (DEIAA -EIA).**

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 19.07.2025 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजरात उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

| परियोजना विवरण | परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज |
|------------------------------------|--|
| परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता | श्री मयंक सिंह सिकरवार पिता श्री महेन्द्रसिंह सिकरवार निवासी-35 जी, वक्तावर रामनगर इन्दौर जिला इन्दौर (म.प्र.) |
| खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी) | 303, (शासकीय भूमि - नॉन फॉरेस्ट लैंड) 4.990 hectare. |
| स्थल | Vill.- Deopipalya, Tehsil- Bagli, District- Dewas (M.P.) |
| लीज स्वीकृति | कार्यालय कलेक्टर देवास के पत्र क्रमांक. 2417 दिनांक 26/10/ 2017 के द्वारा स्वीकृत । |
| ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर | अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है। |
| प्रकरण की स्थिति | डिया प्रकरण |
| डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो) | डिया देवास के पत्र क्रमांक 178 दिनांक 17.10.2017 के द्वारा पत्थर-24,832 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है। |
| केशर की स्थिति | केशर लीज क्षेत्र लीज में स्थित है। |
| बोर्ड द्वारा जारी सम्मति की स्थिति | क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उज्जैन द्वारा जारी स्थापना/संचालन सम्मति (सीटीई/सीटीओ) की Outward No:-122733, 15/05/2025 वैधता दिनांक 30/4/2030 तक है। |
| टॉर | सेक की 743 वीं बैठक दिनांक 27/4/2024 को अनुशंसानुसार सिया के पत्र क्रमांक 1052 दिनांक 03/6/2024 के द्वारा पत्थर-24832 घनमीटर/वर्ष के लिए टॉर जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है। |
| उत्पादन क्षमता | परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम 24,832 घनमीटर/वर्ष पत्थर, और 12,800 घनमीटर/वर्ष ओवरबर्डन हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम 24,832 घनमीटर/वर्ष पत्थर , और 12,800 घनमीटर/वर्ष ओवरबर्डन है। |

| | |
|---|---|
| 500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें | कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2266 दिनांक 24/11/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 10.990 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है। |
| वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति | कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2266 दिनांक 24/11/2023 के अनुसार वन क्षेत्र खदान परिधि से 08 किलोमीटर की दूरी पर है। एवं नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है। |
| तहसीलदार की अनापत्ति | कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2266 दिनांक 24/11/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में नदी/नहर/तालाब स्थित नहीं है। |
| ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति | ग्राम पंचायत कलमा जिला देवास के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 17.07.2017 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है। |
| प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति | कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2268 दिनांक 24/11/2023 उत्खनिपट्टा में संपूर्ण प्रक्रियाप्रक्रिया पूर्ण (उत्खनिपट्टा संचालन) हो जाने उपरांत नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उक्त खदान सम्मिलित कर दी जावेगी। |

प्रस्तुतीकरण के दौरान पर्यावरण सलाहकार ने बताया कि लीज में कोई पेड़ काटा जाना प्रस्तावित नहीं है खदान क्षेत्र के पश्चिम दिशा में पगडंडी गुजर रही है , ये कच्चा रास्ता नहीं है , पूर्व दिशा में एक नाला 470 मी. की दूरी पर है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति द्वारा प्रकरण की डिया स्वीकृति से संबंधित कार्य व उत्खनि पट्टे में किये गए खनन कार्य के संबंध में जानकारी चाही जिसके प्रत्युत्तर में प्रस्तावक के पर्यावरण सलाहकार द्वारा यह अवगत कराया की उत्खनि पट्टे में प्रस्तावक द्वारा कोई भी खनन कार्य नहीं किया गया जिसके संबंध निम्नानुसार उत्तर दिए:

1. श्री मयंक सिंह सिकरवार के पक्ष में प्रारंभ में पर्यावरणीय स्वीकृति DEIAA देवास द्वारा पत्र क्रमांक 178/DEIAA/2017 देवास दिनांक 17-10-2017 के माध्यम से प्रदान की गई थी।
2. सीमांकन की कार्रवाई पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक द्वारा न किए जाने के कारण खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सका। इसके उपरांत वर्ष 2023 में तहसीलदार द्वारा कार्यालय तहसील बागली जिला देवास (म.प्र.) द्वारा पत्र क्रमांक 352/आर-1/2023 बागली, दिनांक 10/01/2023 प्रस्तावित पत्र जारी किए जाने के पश्चात पटवारी द्वारा दिनांक 12/02/2023 को लीज क्षेत्र का सीमांकन करते हुए मौका पंचनामा तैयार किया गया है।

3. सीमांकन होने के उपरांत, पट्टेदार द्वारा तारबंदी (wire fencing) की गई तथा 2025 में पौधारोपण का कार्य किया गया, साथ ही विभिन्न सी.ई.आर. (कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व) से संबंधित कार्य भी संपादित किए गए।
4. तत्पश्चात वर्ष 2024 में प्रस्तावक द्वारा म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण मंडल (MPPCB) में सीटीई (CTE) हेतु आवेदन किया गया। परंतु SEIAA से पर्यावरणीय स्वीकृति न होने के कारण उक्त आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया। व हाल ही में इस प्रकरण हेतु नवीन सी टी ई दिनांक 15/05/2025 को प्राप्त की गई।
5. अतः प्रस्तावक द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र में किसी भी प्रकार का खनन कार्य नहीं किया गया है, जिसकी पुष्टि संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, क्षेत्रीय कार्यालय इंदौर द्वारा अनुमोदित खनन स्कीम के अध्याय 3 के बिंदु क्रमांक 2 में भी की गई है, जिसमें पूर्व खनन चरण में किए गए उत्पादन को शून्य (Production: 0) बताया गया है।
6. साथ ही, ई-खनिज पोर्टल पर भी उत्पादन शून्य (Production: NIL) का स्पष्ट उल्लेख है, जिसके संदर्भ में वर्तमान तिथि तक के संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं।, जिससे यह सिद्ध होता है कि पट्टेदार द्वारा लीज क्षेत्र में कोई खनन कार्य नहीं किया गया।
7. तथापि, प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर डेड रेंट का भुगतान विधिवत रूप से किया गया है। उन पर कोई डेड रेंट बकाया नहीं है, जिसकी रसीद ई-खनिज पोर्टल से डाउनलोड कर प्रस्तुत की गई है।
8. इसके अतिरिक्त गूगल सैटेलाइट इमेज में वर्तमान में लीज क्षेत्र में जो संरचना और खुदाई की स्थिति नजर आ रही है, वह उत्खनन क्षेत्र का विधिवत कब्जा मिलने से पहले कुछ अनधिकृत व्यक्तियों ने अवैध रूप से खुदाई की थी और एक अस्थायी डामर संरचना भी निर्मित कर दी थी, जिसे अब हटा दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति द्वारा प्रकरण की डिया स्वीकृति में निहित शर्तों की स्थिति का अवलोकन किया गया जिसका विवरण निम्नानुसार है

| <u>DEIAA Conditions</u> | <u>Compliance status</u> |
|--------------------------------------|--|
| Plantation | a) Approx 100 nos. of plants are planted at the mine lease area. a) 150 nos. of plants are distributed to the nearby village Schools. |
| Wire fencing work | Lease area is 100% covered with wire fencing. |
| Garland drain at the mine lease area | Garland drain is constructed partially in the western side of the ML area. |

| | |
|-------------------------|---|
| Verifiable proof of CER | <p>Different activities for the village welfare is carried out which are:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Provided academic items and 50 plants to Govt. Middle School Lasudialad, dated 08/02/2025. 2) Provided academic items to Village Anganwadi Ghudiya, dated 08/02/2025. 3) Provided academic items and 50 plants to Govt. Primary School Ghudiya, dated 08/02/2025. 4) Provided academic items and 50 plants to Govt. Primary School and Anganwadi Kendra Devpipalya dated 08/02/2025. 5) Provided academic items to Govt. Primary School Bijjukheda, dated 08/02/2025. <p><i>However, several activities are carried out time to time for the village welfare under the CSR activity.</i></p> <p><i>(All the aforementioned certification letters and GPS photographs have been attached and provided in the presentation.)</i></p> |
|-------------------------|---|

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य पाई गई

1. अनुमोदित खनन स्कीम अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता – स्टोन गिट्टी – 24832 घनमीटर/वर्ष, ओवरबर्डन – 12800 घनमीटर/वर्ष ।
2. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार खदान क्षेत्र में कशर /एम सेंड प्लान्ट प्रस्तावित है । म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित कशर /एम सेंड प्लान्ट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना तथा प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जावेगी ।
3. ब्लास्टिंग प्रक्रिया में नियमानुसार सुरक्षात्मक उपायों का अनुपालन करते हुए आसपास के राहगीरों/कृषि भूमि/संरचना/पर्यावरण/जल निकायो/वृक्षों आदि की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी ।
4. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 16.675 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 3.425 लाख प्रति वर्ष ।
5. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु 1.40 लाख तथा सी.ई.आर में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 1 वर्ष में पूर्ण किये जाये ।

| सी.ई. आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि | | |
|-------------------------------------|--|------------|
| 1. | A 3.0 kW capacity solar panel system will be installed at the government Primary school located in Deopipalya village (Excluding Subsidy). | 1,20,000/- |

| | | |
|----|--|-------------------|
| 2. | Painting village Government Middle school walls with colorful educational & science-related themes | 20,000/- |
| | योग | 1,40,000/- |

6. वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 6150 वृक्षों का वृक्षारोपण ।

After presentation the committee asked PP/ Env. Consultant to submit following information; on receipt of reply this case shall be treated as recommended for grant of EC.

- EIA ch 04 page162 table 4-11 predicted GLC of PM₁₀ is reported 88 to 94.90 microgram /Nm³ hence protection plan to maintain pm10 well within limits is required along with revised EMP.

8. Case No P2/98/2024 Shri SURENDRA KUMAR GUPTA, MD, SUNFLAG IRON & STEEL COMPANY LIMITED, 33, MOUNT ROAD, SADAR, NAGPUR- 440001. Prior Environment Clearance for M/s Bajna Iron ore Mine, area 96.00 ha. (Iron ore- 249984 TPA & Soil-10710 TPA) (Khasra No. forest compartment no. 307) Village- Bajna, Tehsil- Buxwaha, Dist. Chhatarpur (M.P.) [538866] (EIA)

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए ईआईए का है, जिसमें आज दिनांक 19/07/2025 को परियोजना प्रस्तावक श्री एस. महादेवन अय्यर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, मेसर्स किएटिव इवायो सर्विसेस, भोपाल (म.प्र.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

| परियोजना विवरण | परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज | |
|---|--|----------------|
| परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता | Shri SURENDRA KUMAR GUPTA, MD, SUNFLAG IRON & STEEL COMPANY LIMITED, 33, MOUNT ROAD, SADAR, NAGPUR- 440001. | |
| खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी) | forest compartment no. 307(फॉरेस्ट लैंड) | 96.00 hectare. |
| स्थल | Village- Bajna, Tehsil- Buxwaha, Dist. Chhatarpur (M.P.) | |
| लीज स्वीकृति | भारत सरकार, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय दिल्ली पत्र क्रमांक 4157 दिनांक 07/11/22 । | |
| ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर | Controlled blasting. | |
| प्रकरण की स्थिति | नया प्रोजेक्ट । | |
| लीज क्षेत्र में क्रेशर की स्थिति | फार्म-1 के पार्ट-बी के सरल क्रमांक 16.9 अनुसार लीज क्षेत्र में क्रेशर स्थापित नहीं। | |
| टॉर | ऑनलाईन स्टेण्डर्ड टॉर दिनांक 27/06/25 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है। | |
| बोर्ड द्वारा जारी सम्मति की स्थिति | मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल के द्वारा जारी स्थापना सम्मति (सीटीई) की वैधता दिनांक 31/01/20230 तक है । | |
| उत्पादन क्षमता | परियोजना प्रस्तावक द्वारा आयरन ओर-2,49,984 टीपीए एवं स्वाईल-10,710 टीपीए हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार आयरन ओर-2,49,984 टीपीए एवं स्वाईल-10,710 टीपीए है । | |
| 500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें | कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 173 दिनांक 01/02/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 105.250 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है । | |
| वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति | कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 173 दिनांक 01/02/2024 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं निकटतम वन | |

| | |
|-------------------------------------|---|
| | सीमा वनकक्ष क्रमांक पी-307 अंतर्गत आता है । |
| तहसीलदार की अनापत्ति | कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 173 दिनांक 01/02/2024 अनुसार खसरा नं. 472 से नदी से नदी खसरा नं. 470 में स्थित है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है । |
| ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति | ग्राम मझौरा जिला छतरपुर की वनाधिकार समिति का ठहराव प्रस्ताव दिनांक 08/12/2023 को खनन का हेतु सशर्त प्रस्ताव पारित । |
| गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति | पश्चिम दिशा- लीज क्षेत्र के समीप एक नाला स्थित है एवं एक अन्य नाला उत्तर पूर्व दिशा में लगभग 1.25 किमी तथा आबादी लगभग 1.75 किमी की दूरी पर है । |
| जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति | प्रस्तावित खनिज मुख्य खनिज होने के कारण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट लागू नहीं है । |
| जन सुनवाई | समिति द्वारा प्रकरण से संबंधित जनसुनवाई के कार्यवाही विवरण, आमजन के सुझाव एवं प्राप्त आपत्तियों पर परियोजना प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा की गई एवं आवश्यकतानुसार परियोजना में प्रस्तावित सामाजिक/पर्यावरणीय कार्यों की समीक्षा की गई । |

PP submitted that following points about the project:

- This is case of fresh case of auctioned mine for iron ore excavation. . The proposed lease is located at forest compartment No. : P-307 at Village-Bajna, Tehsil- Buxwaha, Dist.- Chhatarpur (MP) . The project requires prior EC before commencement of any activity at site.
- This is case of excavation of Iron Ore (Major Mineral) Deposit Mine. The project has been proposed for the Mining of Iron Ore over Govt (96 hact) by open cast through mechanized method. The entire land is forest land and PP has already in advance stage of Ist Stage clearance .
- The total minable area is only 59.80 ha. . A total mineable reserve as per the mining plan for Iron deposit is 36,26,200 Tonne & with maximum of production of ROM will be 260694 TPA (249984 TPA of Iron ore and 10710TPA of soil) after commencement of operation .
- The proposed project is an opencast and fully mechanized mining project, where mining of Iron deposit will be done through drilling, blasting/ rock breaker , Jack hamer etc ..

During presentation as per Google image based on coordinates provided by PP, one seasonal nala has been observed for which PP has given protection measures in EIA and presentation both.

PP has explained the progress made in procuring FC which is given as below -

1. FC proposal submitted on 05.12.2023 (**PROPOSAL NO. FP/MP/MIN/QRY/454396/2023**)
2. Member Secretary raised the EDS on 14.09.2024.
3. Purchase of Non-Forest Land 102.639 Hect. in District Pandhurna, registration & Mutation completed.
4. Land Suitability Certificate issued on 30.05.2025 by DFO, Chhindwara and forwarded to APCCF (Land Management) Bhopal and DFO, Chhatarpur.
5. APCCF (Land Management), Bhopal issued letter dated 02.06.2025 to DFO, South, Chhindwara for Plantation Scheme.
6. CF and DFO, South, Chhindwara, prepared & approved Plantation scheme submitted to DFO, Chhatarpur on 01.07.2025. The DFO, Chhatarpur is under process for uploading the documents online on Parivesh Portal.

After presentation the committee asked PP to submit following clarification for further consideration of the project:

1. EIA page 3-4 TOR points 11, 12, 17, (review 13, 16), page 5, TOR points 8,14,01 and TOR points mentioned as noted / noted & complied / agreed requires proper reply along with EIA Chapter reference.
2. Executive summary page 3 para 5 requires justification for Water requirement 130 KLD, please provide source details for fulfilling the requirement. Protection measures for natural drainage, nalla leading to nearby rivers in west and north east directions is required.
3. To submit Forest Clearance status and Geotag photographs for base line data study undertaken for EIA preparation.

9. **Case No P2/1595/2025 Shri Santosh Kumar Jaiswal S/o Shri Rameswar Prasad Jaiswal, Village Bharseda, Post- - Jhara Tehsil Sarai District -Singrauli (M.P.) - 486669 Prior Environment Clearance for M/s Parasi Stone mine Proposed production of Stone - 36,000 M3/Year. Area - 4.000 Ha, Survey No. – 395 (Govt. Land), Village- Parasi, Tehsil- Sarai, District- Singrauli (M.P.).[534380] (B2)**

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आवेदित है, जिसमें आज दिनांक 19/07/2025 को परियोजना प्रस्तावक **Shri Santosh Kumar Jaiswal** एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार **Shri Mohit Malviya, AGS Environmental Services Pvt. Ltd., Delhi.** उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना की रूपरेखा

| परियोजना विवरण | परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज | |
|--|---|---------------------------------|
| परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / संस्थान का नाम व पता | Shri Santosh Kumar Jaiswal, R/o Village Bharseda Post Jhara Tehsil Sarai District Singrauli (M.P.) - 486669. Prior Environment Clearance for Stone Quarry with a production capacity of 36,000 M³/year Stone having a lease Area - 4.000 Ha., at Survey No. - 395 (Govt Land) Village- Parasi, Tehsil- Sarai, District- Singrauli (M.P.). <u>SIA/MP/MIN/534380/2025. B2 Fresh Case.</u> | |
| परियोजना का खसरा नं. / लीज क्षेत्रफल | खसरा नं.— 395, | एरिया — 4.00 ha., (Govt. Land), |
| परियोजना स्थल | at Village- Parasi, Tehsil- Sarai, District- Singrauli (M.P.) | |
| Description of Project | Quarry lease has been Principally Sanctioned for Stone excavation for 10 years Orders issued by DGMMP, Bhopal , vide letter no. 1162-65/Khanij/U.P./N.Kr./15/2024 on dated 24.01.2025 at Village- Parasi, Tehsil- Sarai, District- Singrauli, area 4.000 hectare of Survey No. 395 in favor of Shri Santosh Kumar Jaiswal S/O Shri Rameswar Prasad Jaiswal.The Mining Plan has been approved by Directorate of Geology & Mining Regional office Rewa vide Letter no. NIL Dated 19/02/2025.The Total mineable reserve of stone available estimated to be 5,94,600 Cu.mt. Proposed production of Stone estimated to be max 36,000 M3/Year. As per The Gazette of India, Department of MoEF& CC dated 15/01/2016 and SEIAA O.M. No. 12576, Date 24/03/2016 the project falls under B2 Category as the total area of mines within 500m. is not more than 5.00 ha. | |
| सैधातिक सहमति | संचलनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, मध्यप्रदेश,भोपाल का आदेश क्र0. 1161 दिनांक 24 / 01 / 2025. | |
| परियोजना की श्रेणी | बी-2. | |
| जल/वायु सम्मति | PCB ID: 169715, Consent No:CTE-130285, Outward No:14419,22/05/2025. Issued date 22/05/2025. | |

| | |
|---|--|
| खनन् कार्य ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर | Through Rock breaker |
| केशर की स्थिति | केशर लीज क्षेत्र लीज के बाहर प्रस्तावित है। |
| डिया द्वारा जारी ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो) | NA. |
| उत्पादन क्षमता | Stone (Gitty) - 36,000 M³/year. |
| परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण। | कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 757 दिनांक 06/03/2025 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान नहीं स्वीकृत है जिनका कुल रकबा 4.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है। |
| परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी | कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 757 दिनांक 06/03/2025 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है। ➤ वन सीमा से 1.15 कि.मी. दूर है। |
| परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी | कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 757 दिनांक 06/03/2025 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, नाला इत्यादि संबंधी जानकारी नहीं है। ➤ ग्राम की आबादी – 250 मी. ➤ सड़क – 250 मी. ➤ अन्य संस्थान- 500 मी. की अधिक दूरी पर है। |
| ग्राम सभा / ग्राम पंचायत / नगर परिषद् | ग्राम पंचायत – परासी, जिला –सिंगरौली का ठहराव प्रस्ताव क्र0. 01 दिनांक 28/01/2024 द्वारा अनापत्ति पत्र जारी किया गया है। |
| प्रस्तावित खदान की गूगल इमेज अनुसार स्थिति (यदि सेटबैक आवश्यक हो) | उत्तर दिशा- कच्चा रोड –68मी. पश्चिम दिशा- आइसोलेटेड हाउस –139मी. दक्षिण – पूर्व दिशा- आइसोलेटेड हाउस क्रमशः 97 एवं 157 मी. |
| जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति | कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के पत्र क्रमांक 941/खनिज/DSR/2025 सिंगरौली दिनांक 24/03/2025 द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त खदान का नाम जोड़ लिया जावेगा। |

प्रस्तुतीकरण के दौरान पर्यावरण सलाहकार ने बताया कि लीज क्षेत्र में कुल 20 पेड़ हैं जो पलाश एवं नीव प्रजाति के हैं इनमें से 12 पेड़ शिफ्ट किए जाएंगे तथा कोई भी पेड़ काटा जाना प्रस्तावित नहीं है। उत्तर पूर्व दिशा में एक पक्का रोड 432 मी. की दूरी पर एवं दक्षिण दिशा में एक पक्का रोड 200 मी. की दूरी पर है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता **Stone (Gitti) – 36,000 M³/year.**
2. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार खदान क्षेत्र में कशर /एम सैंड प्लान्ट प्रस्तावित नहीं है।
3. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार खनन हेतु ब्लास्टिंग प्रक्रिया प्रस्तावित नहीं है।
4. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 18.23 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 2.76 लाख प्रति वर्ष।
5. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 1.40 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

| सी.ई.आर मद में प्रस्तावित गतिविधि | राशि (रू0. लाख में) |
|--|---------------------|
| Solar panel system of 3 kW capacity will be installed at govt. middle school of village Parasi & Science model & painting shall be provided for environmental awareness. | 1.40 |

6. वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 4800 वृक्षों का रोपण प्रस्तावित है।

10. **Case No P2/1600/2025 Shri Kawaljeet Singh Chhabra, S/O- Shri Balveer Singh Chhabra, (Owner) R/O -32/1, Vinoba Marg, Tehsil- Barwaha, District- Khargone (M.P)-45111 Prior Environment Clearance for M/s Kadwaliya Stone (Gitti) & M-Sand Mine, Village- Kadwaliya, Tehsil-Barwah, District khargone, (M.P) Khasra No 115/2 (Govt. Land) & 123(Pvt. Land) Area. - 2.0ha. Production- 12,350 Cum/Year (Gitti 9,500Cum/year & M-Sand- 2,850Cum/year) [538839] (B2)**

प्रकरण आज सेक की 811वीं बैठक दिनांक 15/07/2025 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए एवं ऑनलाईन भी नहीं जुड़े। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक से कोई सूचना भी प्राप्त नहीं है। प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात प्रकरण की समीक्षा हेतु विचार किया जा सकेगा ।

11. Case No. P2/1025/2024 Shri Sanjeev Kumar Singh, Senior Manager, M/s. Ambuja Concrete North Private Limited, Adani Corporate House, Shantigram, S.G. Highway, Khodiyar, Ahmadabad (Gujrat) – 382421, Prior Environment Clearance for Proposed Standalone Grinding Unit with Cement production capacity of 4.0 Million TPA (2 x 2.0 Million TPA) at Khasra No. - 679/1/6/1, Village: Mawan, Tehsil & District - Guna, (M.P.) [536566] (EIA)

The case is presented by the Environmental Consultant Shri Ramesh Yadav from M/s J.M. Enviro Net Pvt. Ltd., Gurugram (Haryana) along with PP Prakash Dayal from , M/s. Ambuja Concrete North Private Limited, Khodiyar, Ahmadabad

PP submitted following details on Parivesh Portal:

| SN | Projects Details | |
|----|-------------------------|--|
| 1. | Online Proposal No | SIA/MP/IND1/5136566/2025. |
| 2. | Proposal /Activity Name | Shri Sanjeev Kumar Singh, Senior Manager, M/s. Ambuja Concrete North Private Limited, Adani Corporate House, Shantigram, S.G. Highway, Khodiyar, Ahmadabad (Gujrat) – 382421, Prior Environment Clearance for Proposed Standalone Grinding Unit with Cement production capacity of 4.0 Million TPA (2 x 2.0 Million TPA) at Khasra No. - 679/1/6/1, Village: Mawan, Tehsil & District - Guna, (M.P.) by M/s. Ambuja Concrete North Private Limited by M/s. Ambuja Concrete North Private Limited. Total Land Area - 32 ha., <u>FoR- EIA Presentation. Cat. : 3(b) Cement Plant.</u> |
| 3. | Project Proposal for | New (Greenfield Project). |
| 4. | ToR Status | <ul style="list-style-type: none"> ➤ ToR Proposal No. SIA/MP/IND1/518298/2025. ➤ ToR Identification No. TO25B1103MP5790038N, File No. P2-1025-2025. ➤ ToR Grant Date Dated 03/02/2025 (Online). |
| 5. | CTE details. | PCB ID: 168714, Consent No:CTE-62254, Outward No:122802,22/05/2025, Consent to Establish/NOC up to 30/04/2030 |
| 6. | Total Project Cost | 105900 Lakhs. |
| 7. | Description of Project. | M/s. Ambuja Concrete North Private Limited is proposing a Proposed Standalone Unit with Cement production capacity of 4.0 Million TPA (2 x 2.0 Million TPA) at Village: Mawan, Tehsil & District - Guna, Madhya Pradesh. |
| 8. | Public Hearing Date | 25/04/2025. |

| | | |
|----------------------------|--------------------------------------|---|
| 9. | Production Qty. in M ³ /Y | Cement - 4.0 Million TPA (2 x 2.0 Million TPA). |
| Documentary Details | | |
| 10. | Water requirement | 400 KLD, Method of water withdrawal – Tube well, Distance from Source in mtr-500 mt. Mode of Transport- Pipeline. |
| 11. | DFO NOC details | PP Apply letter submit DFO office, Guna vide letter No. Ref. No.: ACNPL/GUNA/FOREST/05-25/01 dated 26/05/2025 (Online Copy attached). |
| 12. | Wild life Conservation Plan | Submitted by PP Online |
| 13. | Lat/Log. | Latitude 24°38'20.36"N to 24°38'2.31"N Longitude 77°22'36.89"E to 77°22'9.67"E |
| 14. | CTO/CTE | As the proposal is a greenfield Standalone Grinding Unit |
| 15. | Land Allotment details Agreement | Online Copy Submit (MPIDC Gwalior letter No. 5715 dated /12/2024). |
| 16. | Power Requirement & Supply Source | Dedicated supply line from nearby sub-station at 132 KV / 66 KV switch yard. |
| 17. | DG Set details | D.G set of 1250 kVA. |
| 18. | PFR | Submitted. |
| 19. | Greenbelt development & Plantation | Out of total project area of 32 ha, 10.648 ha (33.2% of total project area) will be developed under greenbelt & plantation. |
| 20. | Tree Cutting Commitment | Undertaking letter given by PP -No Tree cutting at Project site letter dated 11/01/2025. |
| 21. | Env. Consultant | Shri Ramesh Yadav, M/s J. M. Environet Pvt. Ltd. (Gurugram) Valid up to 08/07/2026. |

After presentation the committee asked to submit following information for further consideration of the project –

- Document on Parivesh Portal at S.n. 8,9,13, 24, 25 & 30 reveals land allotments for industry date 20.11.2024, Dec 2024, Resolution of company to setup plant dated 06.12.2024, correspondence with consultant & company dated 20.12.2024 & MoU dated 13.01.2025. The EIA report reveals baseline data study period October to December 2024, not observed in line with standard TOR and EIA guidelines on following main points;-
- EIA page 129, one of the photographs for AAQ reveals date of monitoring as 28th Jan. 2025? The analysis data on Page 479 Annexure-7 date of report is mentioned as 10th Jan. 2024?. Also AAQ results on page 470-478 do not match.
- EIA Page 133 photograph regarding Noise quality monitoring do not match with analysis report on page 480 (monitoring period 11.11.2024 to 21.11.2024).
- EIA Page 137 photographs regarding surface water quality monitoring does not match with analysis report on page 486 (date of sampling 03.11.2024).
- EIA Page 142 photographs regarding under ground water quality monitoring do not match with analysis report on page 483 to 485 (sampling date 22.11.2024).
- EIA Page 147 photographs regarding Soil quality monitoring do not match with analysis report on page 481- 482 (sampling date 22.11.2024).

In view of above facts PP/ Env. Consultant is directed to undertake a fresh baseline data study and revise EIA report as per provisions of EIA Notification 2006.

12. Case No P2/1592/2025 Shri Shekhar Raghuvanshi, Partner, Shashank Builder And Developers, FF 29-30, SHOP NO. 6, Shekhar Villa, Scheme No 54, Indore, 452001. Prior Environment Clearance for Proposed Construction of “Commercial Cum Hotel” by Shashank Builder and Developers at Khasra No. 35/2, 36/2, 37/1/2, 37/2/1, 38/2/2 At Village Pipliyarao, Tehsil & District Indore (M.P.). Total Built-Up area – 35,374 m2, Total Plot Area – 10,560 m2, Net Plot Area – 10,560 m2, 40 Shop, 106 Office , 134 Rooms & 2 Flats. [539482] Cat.- 8(a). Building & Construction projects.(B2).

This is case of Prior Environment Clearance for Proposed Construction of “Commercial Cum Hotel” by Shashank Builder and Developers at Khasra No. 35/2, 36/2, 37/1/2, 37/2/1, 38/2/2 At Village Pipliyarao, Tehsil & District Indore (M.P.). The case is presented by the Environmental Consultant Shri Shubham Dubey, M/s Envisolve LLP, Indore (M.P.), .

PP submitted following details on Parivesh Portal:

| SN | Information Required | Details |
|----|---------------------------|---|
| 1. | Project | SIA/MP/INFRA2/539482/2024. |
| 2. | Project Name/Activity | Shri SHEKHAR RAGHUVANSHI, Partner, SHASHANK BUILDER AND DEVELOPERS, FF 29-30, SHOP NO. 6, SHEKHAR VILLA, SCHEME NO 54, INDORE, 452001. Prior Environment Clearance for PROPOSED CONSTRUCTION OF “COMMERCIAL CUM HOTEL” by Shashank Builder and Developers at Khasra No. 35/2, 36/2, 37/1/2, 37/2/1, 38/2/2 At Village Pipliyarao, Tehsil & District Indore (M.P.). Total Built-Up area – 35,374 m², Total Plot Area – 10,560 m², Net Plot Area – 10,560 m², 40 SHOP, 106 OFFICE , 134 ROOMS & 2 FLATS. <u>Cat. - 8(a).Building and Construction projects.</u> |
| 3. | Project Proposal For | New. |
| 4. | Project Cost. | 2916 Lakhs. |
| 5. | Partnership deed details | Date 05/06/2024. |
| 6. | Form 1A & Conceptual Plan | PP uploaded on Parivesh Portal 2.0 |
| 7. | Declaration | <ul style="list-style-type: none"> PP Affidavit submit dated 24/03/2025 regarding No Construction start at project site Submitted(Uploaded on Parivesh Portal 2.0). |
| 8. | Lat./Log. | 22°41'6.13"N latitude and 75°51'29.97"E longitude. |
| 9. | T&CP Permission | T&CP letter no. INDLP070123051 dated 09/06/2023. |

| | | |
|-----|---------------------------------|--|
| | details | |
| 10. | Proposed Parking details | Basement 1,2 & 3: 276 ECS Open Parking: 195 ECS |
| 11. | Number of vehicle to be parked | 168 ECS |
| 12. | Water NOC | BMC Letter issued vide letter no. 843 date 08/05/2025. |
| 13. | MSW NOC | BMC Letter issued vide letter no. 680 date 01/05/2025. |
| 14. | Extra treated water NOC | PP Apply letter no. Nil date 27/03/2025. |
| 15. | Water requirement details | Total Water Requirement: 95.96 KLD Fresh Water Requirement: 48.35 KLD Treated/Recycled Water Requirement: 47.61 KLD. |
| 16. | Hence No. of pits required | 2 Pits. |
| 17. | DG set capacity | Block A-250 KVA Block B- 2x 400 KVA. Total capacity 1050 KVA |
| 18. | CTE details (Apply) | Payment ID :1564271, PCB ID: 169912 Date: 23/05/2025. |
| 19. | Environmental Consultant Change | Shri Pradeep Chandana, Shri Shubham Dubey, M/s ENVISOLVE LLP, Indore (M.P.), Valid up to 19. 02 2026. |

PP's Env. Consultant submitted that M/s Shashank Builder & Developers is a firm and mainly involved in promoting the real estate developers, promoters, infrastructure developers & financiers. The management of the company has decided to develop a commercial cum hotel project in Indore. The company has already acquired the total plot area measuring 10,560 m² at Khasra No. 35/2, 36/2, 37/1/2, 37/2/1, 38/2/2 At Village Pipliyarao, Tehsil & District Indore (M.P.).

During presentation the Env. Consultant stated that in the project area a Kaccha house & Teen Shed is located hence C&D is proposed and some trees are located in the project area so shifting of these trees shall be carried out no tree felling is proposed.

After presentation the committee asked to submit following information for further consideration of the project –

- CTE or comments from MPPCB as per MoEF&CC O.M. dated 14/01/2025 are required to be uploaded on the Parivesh Portal.
- Revised plantation scheme & CER as suggested by the committee.

13. Case No P2/1580/2025 Shri Rahul Singh, (Project Manager), A.K. Shivhare Infrastructure Pvt. Ltd, R/o-16-Eden Garden, Chuna Bhatti Kolar Road Bhopal, (M.P)- 462026 Prior Environment Clearance for M/s Khedikhanpura Stone Quarry, Village - Khedikhanpura, Tehsil- Gogawan, District- Khargone (M.P.) Khasra No 98/1 & 98/2 (Govt. land) Area. - 1.40 ha. Production- 40,000 m³/year Stone (Gitti) [539118] (Fresh -B2) (Temporary permit) .

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 19/7/2025 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार शिशुपाल वर्मा, M/s. Super Tech Environmental Services, Bhopal (M.P.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

| परियोजना विवरण | परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज | |
|------------------------------------|---|---------------|
| परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता | Shri Rahul Singh, (Project Manager) R/o-16-Eden Garden, Chuna Bhatti Kolar Road Bhopal, (M.P)- 462026 | |
| खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी) | 98/1 & 98/2 (सरकारी भूमि) | 1.40 hectare. |
| स्थल | ग्राम खेडीखानपुरा, तहसील गोगावाँ, जिला खरगोन (म.प्र.) | |
| लीज स्वीकृति | कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के पत्र क्रमांक 367 दिनांक 26/5/2025 के द्वारा स्वीकृत । | |
| ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर | अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है । | |
| प्रकरण की स्थिति | नया प्रकरण | |
| लीज क्षेत्र में केशर की स्थिति | आवेदित फार्म के सरल क्रमांक 16.9 अनुसार लीज क्षेत्र में केशर प्रस्तावित है। | |
| बोर्ड द्वारा जारी सम्मति की स्थिति | क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड Outward No:29057 दिनांक 13/05/2025 द्वारा जारी स्थापना/संचालन सम्मति (सीटीई/सीटीओ) की वैधता Board grants Consent to Establish for setting up of an mine/activities है । | |
| उत्पादन क्षमता | परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर (गिट्टी) - 40000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर (गिट्टी) -40000 घनमीटर/वर्ष है। | |
| 500 मीटर की परिधि में अन्य | कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 321 दिनांक 20/5/2015 अनुसार 500 मीटर की परिधि में | |

| | |
|---|--|
| खदानें | अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है। |
| राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण / एसईजेडसे दूरी कोर/ जैव विविधता बफर | कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 321 दिनांक 20/5/2015 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है । |
| प्रस्तावित स्थल से 250 मीटर की दूरी पर वन क्षेत्र की स्थिति | कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 321 दिनांक 20/5/2015 अनुसार 250 मीटर की परिधि में वन क्षेत्र नहीं है। |
| तहसीलदार की अनापत्ति | कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 321 दिनांक 20/5/2015 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 50 मीटर की दूरी पर नाला स्थित है । |
| ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति | ग्राम पंचायत मगरिया जिला खरगोन के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 10/1/2025 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य हेतु कोई आपत्ति नहीं है का प्रस्ताव पारित। |
| प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति | प्रस्तावित खदान क्षेत्र में स्थित पेड़ों की संख्या – 15 काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या – 8 |
| प्रस्तावि स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति | उत्तर दिशा –उत्खनिपट्टे से उत्तर पश्चिम दिशा में 400 मीटर पर मानव बसाहट स्थित है । –उत्खनिपट्टे के उत्तर पश्चिम दिशा में 125 मीटर की दूरी पर नदी पर एक केसकैड स्थित है जिसके सम्बन्ध में बताया गया कि अनुमोदित खनन योजना अनुसार उत्खनिपट्टे में खनन कार्य बिना ब्लास्टिंग के रॉक ब्रेकर के माध्यम से किया जावेगा । पूर्व दिशा –पूर्व दिशा में 65 मीटर की दूरी पर एक नदी स्थित है जिसके सम्बन्ध में बताया गया कि अनुमोदित खनन योजना अनुसार नदी से 100 मीटर तक कोई खनन कार्य नहीं किया जावेगा एवं शेष क्षेत्र में खनन कार्य बिना ब्लास्टिंग के रॉक ब्रेकर के माध्यम से किया जावेगा । |

| | |
|---|---|
| | <p>दक्षिण दिशा</p> <p>– उत्खनिपट्टे से दक्षिण दिशा में 46 मीटर की दूरी पर कच्चा रोड स्थित है जिसके सम्बन्ध में बताया गया कि कच्चे रोड से 50 मीटर तक कोई खनन कार्य नहीं किया जावेगा ।</p> <p>– उत्खनिपट्टे से दक्षिण पूर्वी दिशा में मुक्ति धाम का शेड बना हुआ है जिसके सम्बन्ध में बताया गया कि मुक्ति धाम से 100 मीटर तक खनन कार्य नहीं किया जावेगा एवं शेष क्षेत्र में अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग रहित खनन कार्य प्रस्तावित है ।</p> <p>– उत्खनिपट्टे से दक्षिण पूर्वी दिशा में 100 मीटर पर एक पुलिया स्थित है जिसके सम्बन्ध में बताया गया कि अनुमोदित खनन योजना अनुसार उत्खनिपट्टे में खनन कार्य बिना ब्लास्टिंग के रॉक ब्रेकर के माध्यम से किया जावेगा ।</p> |
| प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति | कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के पत्र क्रमांक 325 दिनांक 20/05/2025 के उक्त खनिपट्टा को आगामी नवीन जिला सर्वेक्षण में सम्मिलित कर लिया जावेगा |

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विषिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुषंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता – स्टोन गिट्टी –40,000 घनमीटर/वर्ष
2. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार खदान क्षेत्र में कशर /एम सेंड प्लान्ट प्रस्तावित है । म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित कशर /एम सेंड प्लान्ट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना तथा प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जावेगी ।
3. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार खनन हेतु ब्लास्टिंग प्रक्रिया प्रस्तावित नहीं है ।
4. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 9.85 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 2.17 लाख प्रति वर्ष ।
5. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु 1.50 लाख तथा सी.ई.आर में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 1 वर्ष में पूर्ण किये जाये ।

| सी.ई. आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि | | |
|-------------------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Solar panel system of 3.0 kw capacity will be installed at village govt primary school khedikhanpura & educational paintings on the walls of it. | 1,30,000/- 20000/- |
| 2. | Repairing & whitewash of the Anganwadi kendra of village | |

| | | |
|--|--|------------|
| | khedikhanpura & educational painting on its walls. | |
| | योग | 1,50,000/- |

6. वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, टीपी सीमा अवधि के अंदर तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1760 वृक्षों का वृक्षारोपण ।

14. Case No P2/1593/2025 Shri Vipin Kandhari, Partner 403-404, Block Infinite, Shivneri Sahil Empire, Bicholi Mardana, Indore, (M.P.)- 452016, Prior Environment Clearance for Proposed construction of commercial cum residential project " SAHIL COLUMBIA" by True Mart. at Khasra No. 57/1/1/1, 57/1/2, 57/1/23, 57/1/24, 57/1/26, 57/4, 58/2/1 (inclusive Khasra 142/1/1), 58/2/2 (inclusive Khasra -142/1/2), 62/2, 62/3 at Village & Tehsil Bicholi Hapsi & District Indore (M.P.). Built up area-35387.91 sq.m ,Plot area-11360 sq.m, Net plot area 11205.70 sq.m.[536988] Cat.-8(a). Building & Construction Projects.(B2).

This is a case of Prior Environment Clearance for Proposed construction of commercial cum residential project " SAHIL COLUMBIA" by True Mart. at Khasra No. 57/1/1/1, 57/1/2, 57/1/23, 57/1/24, 57/1/26, 57/4, 58/2/1 (inclusive Khasra 142/1/1), 58/2/2 (inclusive Khasra -142/1/2), 62/2, 62/3 at Village & Tehsil Bicholi Hapsi & District Indore (M.P.). Built up area-35387.91 sq.m ,Plot area-11360 sq.m, Net plot area 11205.70 sq.m.

The case is presented by the Environmental Consultant Shri Shubham Dubey, M/s Envisolve LLP, Indore (M.P.).

PP submitted following details on Parivesh Portal:

| SN | Information Required | Details |
|-----|--------------------------|--|
| 20. | Project | SIA/MP/INFRA2/536988/2024. |
| 21. | Project Name/Activity | Shri Vipin Kandhari, Partner 403-404, Block Infinite, Shivneri Sahil Empire, Bicholi Mardana, Indore, (M.P.)- 452016, Prior Environment Clearance for Proposed construction of commercial cum residential project " SAHIL COLUMBIA" by True Mart. at Khasra No. 57/1/1/1, 57/1/2, 57/1/23, 57/1/24, 57/1/26, 57/4, 58/2/1 (inclusive Khasra -142/1/1), 58/2/2 (inclusive Khasra -142/1/2), 62/2, 62/3 at Village & Tehsil Bicholi Hapsi & District Indore (M.P.). Built up area – 35,387.91 sq.m ,Plot area-11,360 sq.m, Net plot area-11,205.70 sq.m. <u>Cat. - 8(a).Building and Construction projects.</u> |
| 22. | Project Proposal For | New. |
| 23. | Project Cost. | 6000 Lakhs. |
| 24. | Partnership deed details | Date 28/09/2023. |
| 25. | Description of Project | M/s True Mart is proposing to construct commercial cum residential project "Sahil Columbia" at Khasra No. 57/1/1/1, 57/1/2, 57/1/23, 57/1/24, 57/1/26, 57/4, 58/2/1 (inclusive Khasra -142/1/1), 58/2/2 (inclusive Khasra |

| | | |
|-----|---------------------------------|--|
| | | -142/1/2), 62/2, 62/3 at Village & Tehsil Bicholi Hapsi & District Indore (M.P.). |
| 26. | Form 1A & Conceptual Plan | PP uploaded on Parivesh Portal 2.0 |
| 27. | Declaration | • PP Affidavit submit dated 25/05/2025 regarding No Construction start at project site Submitted(Uploaded on Parivesh Portal 2.0). |
| 28. | Lat./Log. | 22°43'5.35"N and 75°55'45.58"E. |
| 29. | T&CP Permission details | T&CP letter no. INDLP18012541217 dated 19/03/2025. |
| 30. | Proposed Parking details | Basement parking: 25 ECS Open parking: 7 ECS Podium parking: 400 ECS. |
| 31. | Number of vehicle to be parked | 273 ECS. |
| 32. | Water requirement details | Total Water Requirement: 119.25 KLD Fresh Water Requirement: 73 KLD Treated/Recycled Water Requirement: 46.25 KLD. |
| 33. | Hence No. of pits required | 2 Pits. |
| 34. | DG set capacity | 2 DG sets of total capacity 400 KVA (2×200 KVA). |
| 35. | CTE details | Apply PCB ID: 170004, |
| 36. | Environmental Consultant Change | Shri Pradeep Chandana, Shri Shubham Dubey, M/s ENVISOLVE LLP, Indore (M.P.), Valid up to 19. 02 2026. |

During presentation the Env. Consultant submitted that in the project area a structure is existing hence C&D is proposed and some trees are located in the project area hence shifting of these trees shall be carried out and no tree felling is proposed.

After presentation the committee asked to submit following information for further consideration of the project –

- CTE or comments from MPPCB as per MoEF&CC O.M. dated 14/01/2025 are required to be uploaded on the Parivesh Portal.

- To submit NOCs from different Govt. department as per MP SEIAA O.M. dated 20/06/2019 viz. Water NOC, MSW NOC, Treated Water disposal NOC, Fire NOC, Electric safety NOC etc.
- To produce authentic documents regarding existing structure within project area.
- Revised plantation scheme, EMP & CER as suggested by the committee.

15. Case No. – P2/1594/2025 Shri Pinkesh Ghatiya, Chief Finance Officer, Address - F No. - 401,Block B, New Race Course, Mahalaxmi Nagar, Indore, (M.P.)- 452001. Prior Environment Clearance for Proposed Construction of M/s. “CYBERCITY by MICROMITTI ” at Plot No. 05, Scheme No. - 166, Super Corridor, behind Infosys Campus Indore (M.P.). Total Plot Area - 9,301.71 m2, Net Plot Area -9,298.49 m2., Built-up area – 45,474.57 m2, Cat. - 8(a). Building and Construction projects. [539600] (B2).

This is a case of Prior Environment Clearance for Proposed construction proposed Construction of M/s. “CYBERCITY by MICROMITTI ” at Plot No. 05, Scheme No. - 166, Super Corridor, behind Infosys Campus Indore (M.P.). Total Plot Area - 9,301.71 m2, Net Plot Area -9,298.49 m2., Built-up area – 45,474.57 m2, Cat. - 8(a). Building and Construction projects

PP submitted following details on Parivesh Portal:

| SN | Information Required | Details |
|----|---------------------------|--|
| 1. | Project | SIA/MP/INFRA2/539600/2025. |
| 2. | Project Name/Activity | Shri Pinkesh Ghatiya, Chief Finance Officer, Address - F No. - 401,Block B, New Race Course, Mahalaxmi Nagar, Indore, (M.P.)- 452001. Prior Environment Clearance for SNEH DEVELOPERS. The PROPOSED CONSTRUCTION OF M/s “CYBERCITY by MICROMITTI ” site is located at Plot No. 05, Scheme No. - 166, Super Corridor, behind Infosys campus Indore (M.P.). Total Plot Area -9,301.71 m2, Net Plot Area -9,298.49 m2., Built-up area – 45,474.57 m2, Cat. - 8(a).Building and Construction projects. |
| 3. | Project Proposal For | New. |
| 4. | Project Cost. | 9447 Lakhs. |
| 5. | Partnership deed details | Date 20/11/2024. |
| 6. | Description of Project | The proposed project site is located at Plot No. 05, Scheme No. 166, Super Corridor, behind Infosys campus Indore(M.P.). |
| 7. | Form 1A & Conceptual Plan | PP uploaded on Parivesh Portal 2.0 |
| 8. | Declaration | <ul style="list-style-type: none"> PP Affidavit submit dated 30/04/2025 regarding No Construction start at project site Submitted(Uploaded on Parivesh Portal 2.0). |
| 9. | Lat./Log. | As per Form. |

| | | |
|-----|---------------------------------|--|
| 10. | High rise Permission details | T&CP letter no. 38 dated 03/01/2025. |
| 11. | Building Hight | 45 Meter. |
| 12. | Water NoC | Case No. 5641/2018, Super Corridor Scheme No. -166, EC Issued vide SEIAA letter No. 1736 dated 26/11/2018 (Uploaded on Parivesh Portal). |
| 13. | MSW NoC | Case No. 5641/2018, Super Corridor Scheme No. -166, EC Issued vide SEIAA letter No. 1736 dated 26/11/2018 (Uploaded on Parivesh Portal). |
| 14. | Extra Treated water NoC | Case No. 5641/2018, Super Corridor Scheme No. -166, EC Issued vide SEIAA letter No. 1736 dated 26/11/2018 (Uploaded on Parivesh Portal). |
| 15. | Total parking area | Basement I Parking: 171 ECS Basement II Parking: 171 ECS Basement III Parking: 171 ECS Total: 513 ECS |
| 16. | Number of vehicle to be parked | 513 No. |
| 17. | Water requirement details | Total water requirement -120.61 KLD Fresh water supply – 59.95 KLD |
| 18. | Hence No. of pits required | 3 Pits. |
| 19. | DG set capacity | 2 DG sets of total capacity 3200 KVA (2×1600 KVA). |
| 20. | CTE details | Applied PCB ID: 170036 |
| 21. | Environmental Consultant Change | Shri Shubham Dubey, M/s ENVISOLVE LLP, Indore (M.P.), Valid up to 19. 02 2026. |

After presentation the committee asked to submit following information for further consideration of the project –

- CTE or comments from MPPCB as per MoEF&CC O.M. dated 14/01/2025 are required to be uploaded on the Parivesh Portal.
- To submit NOCs from different Govt. department as per MP SEIAA O.M. dated 20/06/2019 viz. Water NOC, MSW NOC, Treated Water disposal NOC, Fire NOC, Electric safety NOC etc.
- Revised plantation scheme, EMP & CER as suggested by the committee.

16. Case No P2/1575/2025 Shri MANJULATA GOUR, LEESSEE, Village Nayakhera, Kuluwakhaas, Niwari, Kulua Niwari (M.P.) Prior Environment Clearance for M/s Nayakheda Murum Quarry, MURUM Mine in an area of 3.5 ha. (40002 cum per annum) (Khasra No. 553/4) Village-Naya Khera Tehsil-Niwari -- District Niwari (M.P.).[521510] (B2)

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 19/07/2025 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार सुश्री गरिमा श्रीवास्तव एफ.ए.ई., मेसर्स Aseries Envirotek India Pvt. Ltd, लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

| परियोजना विवरण | परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज | |
|--|--|--------------|
| परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता | Shri MANJULATA GOUR, LEESSEE, Village Nayakhera, Kuluwakhaas, Niwari, Kulua Niwari (M.P.) | |
| खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी) | 553/4 (सरकारी-नॉन फॉरेस्ट लैंड) | 3.5 hectare. |
| स्थल | Village-Naya Khera Tehsil- Niwari -- District Niwari (M.P.). | |
| लीज स्वीकृति | कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला निवाडी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 239 दिनांक 12/07/2024 के द्वारा 10 वर्ष के लिए स्वीकृत । | |
| ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर | Not applicable as this is murum quarry. | |
| प्रकरण की स्थिति | नया प्रकरण। | |
| लीज क्षेत्र में क्रेशर की स्थिति | फार्म के सरल क्रमांक 16.9 अनुसार लीज क्षेत्र में क्रेशर प्रस्तावित नहीं। | |
| बोर्ड द्वारा जारी सम्मति की स्थिति | क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सागर के पत्र दिनांक 30/05/2025 द्वारा जारी स्थापना सम्मति (सीटीई) की वैधता दिनांक 29/04/2023 तक है । | |
| उत्पादन क्षमता | परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता MURUM-40002 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता MURUM-40002 घनमीटर/वर्ष है। | |
| 500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें | कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला निवाडी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 781 दिनांक 24/12/24 अनुसार 500 मीटर की परिधि कोई अन्य खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है। | |
| राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण/ एसईजेड से दूरी कोर/ जैव विविधता बफर | कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला निवाडी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 781 दिनांक 24/12/24 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है । | |

| | |
|---|---|
| प्रस्तावित स्थल से 250 मीटर की दूरी पर वन क्षेत्र की स्थिति | कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला निवाडी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 781 दिनांक 24/12/24 अनुसार 250 मीटर की परिधि में वन क्षेत्र नहीं है। |
| तहसीलदार की अनापत्ति | कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला निवाडी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 781 दिनांक 24/12/24 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन / सार्वजनिक भवन / शमशान घाट / राष्ट्रीय राजमार्ग / संवेदनशील क्षेत्रों जैसे: रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय / नदी / तालाब / बांध / स्टॉप डैम / नहर / ग्रामीण कच्चा / पक्का रास्ता / नाला नहीं है । |
| ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति | ग्राम पंचायत नयाखेडा जिला टीकमगढ के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-2 दिनांक 14/03/24 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य हेतु कोई आपत्ति नहीं है का प्रस्ताव पारित । |
| प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति | कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला निवाडी के पत्र क्रमांक 831 दिनांक 10/01/2025 अनुसार उक्त खदान को नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल किया जावेगा। |

प्रस्तुतीकरण के दौरान पर्यावरण सलाहकार ने बताया कि लीज क्षेत्र में 50 पेड़ हैं जिनमें से 40 पेड़ बेरियर जोन में हैं जो नीम, महुआ, छोटी चिरोल, बबूल एवं छेवला प्रजाति के हैं, 10 पेड़ हैं जो कि लीज क्षेत्र के बीच में हैं काटे जाना प्रस्तावित है जिनके स्थान पर 100 अतिरिक्त वृक्ष नॉन माइनिंग जोन में लगाये जायेंगे ।

लीज क्षेत्र के पश्चिम दिशा में 69मी. की दूरी पर एक कनोल है अतः 35मी. का गैर खनन क्षेत्र छोड़ा गया है। दक्षिण दिशा में 420 मी. की दूरी पर एक स्कूल एवं 222मी. की दूरी पर एक गौशाला है। उत्तर दिशा में 135मी. की दूरी पर कुछ आइसोलेटेड हाउस हैं।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विषिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता MURUM-40002 घनमीटर/वर्ष
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 18.64 लाख एवं रिक्ररिंग राशि रु 3.64 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु 1.20 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये:-

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ | राशि (रु.में) |
|---------------------------------------|---------------|

| | |
|--|-------------|
| शासकीय माध्यमिक शाला कुलुआखास में 2 का सोलर पैनल | 1,20,000.00 |
|--|-------------|

4. वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1850 वृक्षों का वृक्षारोपण किया जावेगा ।

17. Case No 10778/2023 Shri Niraj Porwal, Owner, R/o Village-Antri Bujurg, Tehsil-Manasa, District-Neemuch (MP)-458441, Prior Environment Clearance for Chaplana Stone (Gitti) Quarry in an area of 4.00 ha. (20400 cum per year) (Khasra No. 420, 426, 492), Village-Chaplana, Tehsil-Manasa, District-Neemuch (MP) [443610] [Referred back Case]

प्रकरण आज सेक की 811वीं बैठक दिनांक 15/07/2025 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए एवं ऑनलाईन भी नहीं जुड़े। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक से कोई सूचना भी प्राप्त नहीं है। प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात प्रकरण की समीक्षा हेतु विचार किया जा सकेगा ।

18. Case No. 7421/2020 Shri Rajendra Singh Yadav, Owner, M/s DABAR KHAS STONE (GITTI) QUARRY, Nandu Colony, Shivaji Nagar, Tehsil District- Jhansi (U.P.) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 4.00 ha. (14828 to 1,09,115 cum per annum) (Khasra No. 132/3) Village- Dabar Khas, Tehsil- Niwari, District- Niwari (M.P.) [467737]Refferd Back.

प्रकरण आज सेक की 811वीं बैठक दिनांक 15/07/2025 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए एवं ऑनलाईन भी नहीं जुड़े। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक से कोई सूचना भी प्राप्त नहीं है। प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात प्रकरण की समीक्षा हेतु विचार किया जा सकेगा ।

19. Case No 10107/23 Shri Rahul Gadia, Lessee, M/s SHREE SANWARIYA INFRASTRUCTURES, 37-38 Arihant Parisar , Hira Mil marg, Koyla Fatak, District –Ujjain (M.P.). Prior Environment Clearance for Stone and M-Sand in an area of 1.99 ha. (Stone-10000, M-Sand-15000 cum per year) (Khasra No. 170, 172, 173, 174/2, 176/1, 169/2), Village-Chakjai Rampur, Tehsil-Ujjain, District-Ujjain (MP) [469378] (EIA) Referred Back

- Earlier this case was discussed in 760 SEAC meeting Dated 29.05.2024 and EC was Recommended.
- SEIAA Referred back this case on 884 SEIAA meeting Dated 07.05.2025

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 760वीं बैठक दिनांक 29.05.2024 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर खसरा नम्बर 170, 172, 173, 174/2, 178/1, 169/2 के लिये आवेदन किया गया है जबकि कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा जिला उज्जैन द्वारा स्वीकृत लीज एवं DEIAA EC में खसरा नम्बर 170, 172, 173, 174/2, 176/1, 169/2 अंकित है।
2. SEAC द्वारा 760वीं बैठक दिनांक 29.05.2024 के कार्यवाही विवरण में लेख किया गया है कि खदान क्षेत्र का बैरियर जोन खुदा हुआ है, इसके उपरांत भी SEAC द्वारा प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई है। भारत सरकार MoEF&CC के कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 08.04.2019 के बिन्दु क्रमांक VIII के बिन्दु में स्पष्ट लेख है कि 7.5 मीटर का बैरियर जोन ग्रीन बेल्ट हेतु अनिवार्य है। प्रश्नाधीन प्रकरण में बैरियर जोन खुदा होने के बाद भी अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त के बिन्दुओं के दृष्टिगत प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्रदान नहीं की जा सकती है अतः प्रकरण में SEAC द्वारा अपना अभिमत प्रस्तुत किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

प्रस्तावित पत्थर खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 19/07/2025 को परियोजना प्रस्तावक के प्रतिनिधि **Shri Pankaj Mantri** एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार **Shri Anil Kumar**, ऑनलाईन M/s. **Acro Design and Engineering, Ghaziabad, U.P.** उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष सिया द्वारा उठाये गये बिन्दुओं के संबंध में प्रस्तुतीकरण किया गया।

- बैरियर जोन खुदा हुआ है के संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरण सलाहकार द्वारा बताया गया कि वर्ष 2021 में श्री ऋषि प्रताप सिंह से मेसर्स सावरिया इन्फ्रास्ट्रक्चर के नाम लीज ट्रांसफर हो गई है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा नवीन (Fresh Project)

परियोजना के अंतर्गत आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बैरियर जोन नहीं खोदा गया है तथापि पर्यावरण स्वीकृती प्राप्त होने के पश्चात् माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावेगा तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावे जिसका विवरण सेक की 760वीं बैठक दिनांक 29.05.24 के कार्यवाही विवरण में अंकित है।

- पूर्व में जारी LoI एवं डिया ईसी में खसरा नं.170,172,173,174/2, 176/1 एवं 169/2 का उल्लेख था जबकि अन्य खसरा नं. के साथ 178/1 के स्थान पर सही खसरा नं. 176/1 है।

प्रस्तुतीकरण पश्चात् समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निम्नलिखित निर्देश दिए:-

- बैरियर जोन पूर्व समिति के बैठक 765 दिनांक 07/06/24 के निर्णय के अनुपालन में पुर्नभरण करने की कार्यवाही यथाशीघ्र कर प्रमाणिक जानकारी जियोटेग फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत करें।
- खसरा नं. 170,172,173,174/2, 176/1 एवं 169/2 के संबंध में जिला खनिज अधिकारी से प्रमाणिक जानकारी प्रस्तुत करें।

20.Case No. 10758/2023 Shri SUMANT GOSWAMI, Partner, M/s MAA SHARDA MINERALS, 22,RAI COLONY, MPSEB SUB STATION KATNI (M.P) Prior Environment Clearance for Laterite 40139 TPA and Fireclay-8952 TPA in an area of 4.950 ha. (Khasra No. 312 P) Village –Majhgawan, Tehsil Badwara, Distt. Katni (M.P.). [475831] (EIA) [DEIAA] Refferd Back

- Earlier this case was discussed in 765 SEAC meeting Dated 07.06.2024 and EC was Recommended.
- SEIAA Referred back this case on 884 SEIAA meeting Dated 07.05.2025

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 765वीं बैठक दिनांक 07.06.2024 में उक्त प्रकरण में निम्नानुसार लेख किया गया है :-

"यह प्रकरण डिया प्रकरण है जिसके सम्बन्ध पर परियोजना प्रस्तावक के अनुसार यह बताया गया कि उक्त प्रकरण फॉर्म 1 में नवीन प्रकरण की श्रेणी में आवेदित किया गया है जिसके अनुसार यह प्रकरण रि-अप्रेजल का प्रकरण नहीं है। उक्त प्रकरण की पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 13-09-2018 के बाद की स्वीकृति है एवं हाल ही में भारत सरकार वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 07-05-2024 में निर्देशित कार्यवाही के अनुसार ऐसे डिया प्रकरण जिनकी पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 13-09-2018 के बाद जारी की गयी है उन प्रकरणों के अन्तर्गत आ रही खदानों के कार्य को बंद करने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त इन प्रकरणों की पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए किस प्रक्रिया के तहत कार्यवाही की जानी है यह भारत सरकार वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्देशित कार्यवाही में स्पष्ट नहीं किया गया है अतः ऐसे प्रकरण जिनकी पर्यावरणीय स्वीकृति डिया द्वारा दिनांक 13-09-2018 के बाद जारी की गयी है उनके एप्रेजल के लिए एक सैद्धांतिक निर्णय लिया जावे। अतः समिति द्वारा इन प्रकरणों के निराकरण के लिए प्रक्रिया एवं कार्यवाही हेतु सिया से मार्गदर्शन चाहा गया।"

- I. भारत सरकार MoEF&CC द्वारा कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के परिपालन में DEIAA द्वारा दिनांक 13.09.2018 तक जारी पर्यावरण स्वीकृतियों का पुनः परीक्षण किया जाना था, चूंकि वर्तमान में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के परिपालन में भारत सरकार MoEF&CC द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 26.11.2024 के अनुसार DEIAA द्वारा दिनांक 11.12.2018 तक जारी पर्यावरण स्वीकृतियों का पुनः परीक्षण किये जाने का लेख है।
- II. SEAC द्वारा 765वीं बैठक दिनांक 07.06.2024 के कार्यवाही विवरण में लेख किया गया है कि खदान क्षेत्र का बैरियर जोन खुदा हुआ है। भारत सरकार MoEF&CC के कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 08.01.2019 के बिन्दु कमांक VIII के बिन्दु में स्पष्ट लेख है कि 7.5 मीटर का बैरियर जोन ग्रीन बेल्ट हेतु आनेवाय है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त बिन्दुओं के दृष्टिगत प्रकरण पुनः परीक्षण SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत श्रेणी के पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए ईआईए का है, जिसमें आज दिनांक 19/07/2025 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री मुकेश कावरे, ऑनलाइन एवं श्री शैलेद्र सिंह, मेसर्स क्रिएटिव इवायो सर्विसेस, भोपाल (म.प्र.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि 7.5मी. का बैरियर जोन पालन प्रतिवेदन सेक द्वारा ADS जारी होने के पश्चात् जानकारी प्रस्तुत की जावेगी।

(ए.ए.मिश्रा)
सदस्य सचिव

(राकेश कुमार श्रीवास्तव)
अध्यक्ष

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Annexure- 'A'

Standard conditions applicable to Stone/Murrum and Soil quarries:

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded along with annual record of water consumed in sprinkling during Summer (February to May/June) and winter session (October to January) separately.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers for Cardio-vascular & Pulmonary health, vital parameters as prescribed by concerned regulatory authority shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.

21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora , fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled “Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area”.
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board (in hindi) with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - a. Lease owner’s Name, Contact details etc.
 - b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - c. Length, breadth, sanctioned depth of mine and mining time.
 - d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - e. Method of mining (Manual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
 - f. Plantation and CER activities.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. Before onset of monsoon season as per submitted plantation scheme fruit bearing species preferably of fodder / native shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh “ANKUR YOJNA” by registering individual villagers on “Vayudoot app”. Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
37. The project proponent shall comply the MOEF&C's O.M. dated 24 July 2024 for ensuring plantation.
38. लीज क्षेत्र के अंदर में केवल केशर /एम-सेड प्लांट स्थित है, परियोजना प्रस्तावत निम्न शर्तों का पालन करेगा।
- खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
 - म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
39. केशर अथवा एम सेड प्लान्ट प्रस्तावित नहीं है, परियोजना प्रस्तावत निम्न शर्तों का पालन करेगा।
- परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट/ एम.सेड प्लांट प्रस्तावित नहीं है, अतः लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी।
 - खनन क्षेत्र से बाहर प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
 - म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
40. यदि आवंटित खनन पट्टा भू-स्वामी की सहमति /अनुबंध पर हो तो परियोजना प्रस्तावत निम्न शर्तों का पालन सुनिश्चित करेगा।
1. **क्षतिपूर्ति के संबंध में:-**
- म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 247 (5) के तहत संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा भूमि स्वामियों की क्षतिपूर्ति के निर्धारण हेतु किये गये प्रावधानों/उपबंधों का पालन भूमि स्वामियों को समक्ष में सुनकर भूमि के सतह अधिकार के संबंध में क्षतिपूर्ति का निर्धारण सुनिश्चित किया जाये।
 - म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 9 (क) एवं नियम,06(क) के प्रावधान अंतर्गत कण्डिका 04 में किये गये प्रावधानों के अनुरूप सहमति धारक को उत्खनन पट्टा स्वीकृत होने पर, देय रॉयल्टी के 15 प्रतिशत के समतुल्य रकम का सहमति धारक को भुगतान सुनिश्चित किया जाये। उपरोक्त शर्तों का पालन भू-प्रवेश अनुमति के पूर्व सुनिश्चित किया जावे।

Annexure- 'B'

Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be 1/4th or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain such audits be placed on public domain through website developed for public interface along with photographs of work done w.r.t. EMP as well as CER.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.

23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - a. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - c. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - d. Minable Potential of sand mine.
 - e. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - f. Method of mining (Manual/Semi Mechanised)
30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
 - i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
 - ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
 - iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
 - iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
 - v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
 - vi. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
 - vii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
 - viii. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.
31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.

34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh “ANKUR YOJNA” by registering individual villagers on “Vayudoot app”. Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
37. As per Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 , Page no. 24 Para (r) minimum 7.5 meters (inward) “from the river.....bank” shall be restricted should be followed in verbatim as the para says.
38. The project proponent shall comply the MOEF&C’s O.M. dated 24 July 2024 for ensuring plantation.
39. विगत वर्षों में जारी पूर्व पर्यावरण स्वीकृति में एवं वर्तमान में जारी पर्यावरण स्वीकृति में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कॉर्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा।
40. पूर्व एवं वर्तमान ई.सी. शर्तों का पालन प्रतिवेदन निर्धारित समयावधि में एम.ओ.ई.एफ. एण्ड सी.सी. तथा एम.पी. सिया, के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।